

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष नं० 06252-242700(फै०)
242800(आ०), 06252-242900(फै०)
e-mail :dm-motihari.bih@nic.in

आदेश
XXXXXXXX

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ घट्टावात आदि, लघुशीर्ष-101- अनुग्रहित राहत/उपशीर्ष-0003- संतप्त परिवारों को अनुदान अनुदान का भुगतान विपत्र कोड-N2245021010003, मांग सं०-39 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 06 दिनांक 23.04.2015 द्वारा मो०-9,00,000.00(नौ लाख)रु०, पत्रांक 19 दिनांक 02.05.2015 द्वारा मो०-2,00,000.00(दो लाख)रु०, पत्रांक 90 दिनांक 29.10.2015 द्वारा मो०-4,50,000.00(चार लाख पचास हजार)रु० एवं पत्रांक 124 दिनांक 08.02.2016 द्वारा मो०-4,00,000.00(चार लाख)रु० कुल मो०-19,50,000.00(उन्नीस लाख पचास हजार)रु० के अवशेष राशि मो०-3,00,000.00(तीन लाख)रु० को निम्न प्रकार कालम- 4 में अंकित राशि उपावटित की जाती है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपावटित राशि	वर्तमान उपावटन	व्यय विवरणी
1	2	3	4	5
1	अंचल अधिकारी रक्सौल	शून्य	3,00,000.00	दिनांक 30.03.2014 को अग्निकाण्ड में मृतक अत्या एवं अल्पी के परिजन पिता-मोख्तार मिया सा०-0101 तुमरिया अंचल+थाना-रक्सौल को भुगतान हेतु।
		कुल-	3,00,000.00(तीन लाख)रु०	

2. अंचलाधिकारी, रक्सौल को निदेश दिया जाता है कि इसकी निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा में शीघ्रातिशीघ्र अचूक रूप से भेज दिया जाय। साथही इस राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय।

3. किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. संबंधित अंचलाधिकारी, उचित पावती एवं पहचान पर नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

— 52 —
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 77 / दिनांक 16.3.16 /
प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई०टी० मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

16/03/16
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।